न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 17 / 2019

1 प्रमोद उम्र 35 वर्ष पुत्र झण्डूराम।
2 रामस्वरूप उम्र 70 वर्ष पुत्र श्योनारायण समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम स्वामीसेही तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सरजीत सिंह पुत्र खेमाराम।
2 कर्मवीर पुत्र झण्डुराम।
3 भरतसिंह पुत्र खेमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण स्वामी सेही तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी सरजीत सिंह बनाम कर्मवीर वगैरह मुकदमा नम्बर 96 / 2016 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर. टी.एक्ट 1955 निर्णय दिनांक 01.02.2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2016 में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट्स व अन्य रेस्पोडेंट्स के विरूद्व अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 411/191 सरहद मौजा स्वामी सेही में आने जाने के लिये खेत खसरा नम्बर 410/188 व खसरा नम्बर 188 में से रास्ता क्लेम किया । रेस्पोडेंट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र को अदालत मातहत ने स्वीकार कर 12 फिट चौड़ा रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 192 व 415/192 में आने जाने के लिये कोई रास्ता नही है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या ने यह निवेदन किया था कि रेस्पोडेंट संख्या 1 स्वंय अपने खेत खसरा नम्बर 411/191 व अपने भाई के खेत खसरा नम्बर 192 की पूर्वी सीमा के सहारे से खेत खसरा नम्बर 192 तक यदि रास्ता देते है तो वे खसरा नम्बर 410/188 के दक्षिणी दिशा में से गुजरने वाले रास्ते से एक रास्ता खेत खसरा नम्बर 411/191 की पूर्वी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दक्षिणी कोने तक दे देगें और उसके बदले में आपस में पैसे का लेन देन नही करेगें। उक्त शर्त की अदालत मातहत ने नजर अंदाज किया और आदेशिका व निर्णय जैर बहस में भी स्पष्ट रूप से दर्ज नही कर तथ्य व विधि की भूल की है। इस प्रस्तावित रास्ते को देने से दोनों पक्षों का रास्ता मिलता है विचारण न्यायालय ने गलत रूप से हमारे एक खेत के बीच में से रास्ता कायम कर दिया है पीठासीन अधिकारी स्वंय मौका निरीक्षण कर इसकी पुष्टि कर सकते है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता होने पर एवं वैकल्पिक रास्ता नही होने पर धारा 251ए का आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब दिनांक 30.04.2018 में केवल प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अथवा सुझाव का अंकन जवाब में नही किया है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की हुई प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नही है। धारा 251ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर पक्षकारों को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट के खेत में रास्ता नही है तो अपीलांट विधि अनुसार आवेदन करना चाहिए था। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने रास्ते की आत्यतिक आवश्यकता होने पर एवं वैकल्पिक रास्ता नही होने पर धारा 251ए का आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब दिनांक 30.04.2018 में केवल प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अथवा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सुझाव का अंकन जवाब में नही किया है। विचारण न्यायालय में मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की हुई प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नही है। धारा 251ए में संक्षिप्त कार्यवाही होती है विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर पक्षकारों को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट के खेत में रास्ता नही है तो अपीलांट विधि अनुसार आवेदन करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर